(2) अतिआवश्यक

कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय, एवं निःशक्तजन कल्याण) जिला उज्जैन म.प्र.

दूरभाष / फैक्स –0734–2510515 ई–मेल pswujj@mp.nic.in

क्रमांक / स.क. / न.ब. / 2022–23 / 653 — उज्जैन, दिनांक 22 जुलाई 2022

प्रति,

1. पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन
2. कुल सचिव,
   विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन
3. आयुक्त
   नगर निगम उज्जैन
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
   उज्जैन / घटिया / महिदपुर / बडनगर / तराना / खाचरौद / नागदा
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत
   उज्जैन / घटिया / तराना / महिदपुर / बडनगर / खाचरौद
7. मुख्य नगरपालिका / नगर पंचायत अधिकारी
   नगर पालिका / नगर पंचायत
   महिदपुर / बडनगर / खाचरौद / नागदा / तराना / माकडोन / उन्हेल
8. क्षैत्रीय परिवहन अधिकारी जिला उज्जैन
9. उच्च शिक्षा अधिकारी
   माधव सांइस कॉलेज
10. जिला ऑबकारी अधिकारी उज्जैन
11. जिला शिक्षा अधिकारी जिला उज्जैन
12. कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला उज्जैन
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
    जिला उज्जैन
14. जिला समन्वयक
    जन अभियान परिषद जिला उज्जैन
15. जेल अधीक्षक
    जिला भैरवगढ उज्जैन
16. जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी
    एरिना महानंदानगर उज्जैन
17. जिला समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र 23 भक्तनगर उज्जैन
18. समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी
    नगर पालिक निगम उज्जैन / जनपद पंचायत उज्जैन / घटिया / महिदपुर / बडनगर / तराना / नागदा / खाचरोद ।

विषय :– **प्रदेश में नशीले पदार्थो तथा शराब के सेवन से नशामुक्ति हेतु सतत् " नशामुक्ति अभियान के सक्रिय क्रियान्वयन के संबंध में।**

संदर्भ:– संचालनालय सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म0 प्र0 भोपाल के पत्र क्र. / नशामुक्ति अभियान / 2022–2023 / 196 दिनांक 5–7–2022

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन हो। छायाप्रति संलग्न है। सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में नशीले पदार्थो तथा शराब एवं तम्बाकू सेवन के दुष्परिणामों से आमजन को जागरूक करने हेतु निरंतर नशामुक्ति अभियान क्रियान्व्यन के माननीय मुख्यमंत्रीजी के निर्देश है। इस परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नशामुक्ति अभियान का क्रियान्वयन के लिये आयोजित बैठक दिनांक 6–5–22 में सभी विभागों द्वारा निरंतर गतिविधियॉ संचालित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। जिसका कार्यवाही विवरण पत्र के संलग्न प्रेषित है।

निरंतर ——

714
18/7/22

DSW / कुलानुशासक / NS
26/7/22

तद्नुसार जिला स्तरीय समिति एवं अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में समस्त विभागों के अधिकारियों , जनप्रतिनिधियॉ, स्वैच्छिक संस्थाओ के पदाधिकारियों की समितियॉ गठित कर सहभागिता निर्धारित की गई है।

मध्यप्रदेश नशामुक्त अभियान अन्तर्गत समस्त विभागों से अपेक्षा है कि नशा सेवन की रोकथांम के लिये मिशन मोड में विभाग से संबंधित गतिविधियों को क्रियान्वित करे तथा अपने स्तर से अधीनस्थ अमले को निर्देशित किया जाये तथा आयोजित किये गये कार्यक्रमों को जिला स्तर से नशामुक्त भारत अभियान (NMBA) मोबाइल एप की विभिन्न गतिविधियों के अन्तर्गत अपलोड करने की कार्यवाही अनिवार्यतहः की जावे।

उक्त कार्यक्रम के लिये संस्था/ विभाग स्तर पर एक नोडल अधिकारी को अधिकृत करते हुए नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर एवं ई मेल उपलबध कराऐं ताकि किये गये कार्यक्रम की जानकारी नशामुक्त भारत अभियान (NMBA) मोबाइल एप पर की जा सके जिससे भारत सरकार द्वारा नशामुक्त भारत अभियान का सतत् मूल्यांकन किया जा सके।

साथ ही संलग्न पत्र में दिये गये निर्देशानुसार अभियान के तहत महत्वपूर्ण गतिविधियॉ तथा मध्यप्रदेश की घोषणा के महत्वपूर्ण 11 पेसामीटर बिन्दुओ अनुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करे। साथ ही की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन भी भिजवाना सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर
जिला उज्जैन

पृ0क्रमांक/ सा.न्याय./2022–23/654
उज्जैन, दिनांक 27 जुलाई 2022

प्रतिलिपि :—

1. अध्यक्ष, जागृति नशामुक्ति केन्द्र, मक्सी रोड, उज्जैन ।
2. अध्यक्ष मेघदूत बहुउद्देशीय कल्याण समिति 14 मेघदूत परिसर मेट्रो टाकीज के पास उज्जैन ।
3. सचिव, आर. डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन
4. अध्यक्ष मुस्कान एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी 14 तात्याटोपे मार्ग फ्रीगंज उज्जैन ।
5. कृपा वेलफेयर सोसायटी देवासरोड उज्जैन।
6. सचिव एहसास समाज कल्याण समिति एफ 6/6 एल.आई.जी.ऋषिनगर उज्जैन
7. अध्यक्ष द्युमन वेलफेयर सोसायटी फ्रीगंज उज्जैन
8. गायत्री शक्तिपीठ, अंकपात द्वार उज्जैन ।
9. प्रजापिता बहम्कुमारी आश्रम कालिदास मान्टेसरी ऋषिनगर एक्सटेंशन के पास उज्जैन

   समस्त संस्थाओं की ओर प्रेषित कर लेख है संलग्न पत्र में दिये गये निर्देशानुसार नशामुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम आयोजित कर **नशामुक्त भारत अभियान (NMBA) मोबाइल एप पर अपलोड करते हुवे** तद्नुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
10. प्रमुख कलाकार, कलापथक दल, कार्यालय सामाजिक न्याय,जिला उज्जैन की ओर दिये गये निर्देशानुसार कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
11. उपसंचालक जन सम्पर्क विभाग उज्जैन की ओर व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर
जिला उज्जैन

5163

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्जन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश
1250 तुलसी नगर भोपाल- 462003

दूरभाष- 0755-2556916 E mail- dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/नशामुक्ति अभियान/2022-23/196 भोपाल दिनांक 05/07/2022

प्रति,

विभागाध्यक्ष

....

....

....

(मध्यप्रदेश)

कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन सामाजिक न्याय 05 JUL 2022

विषय:- प्रदेश में नशीले पदार्थों तथा शराब के सेवन से नशामुक्ति हेतु सतत "नशामुक्ति अभियान" के सक्रिय क्रियान्वयन के संदर्भ में।

संदर्भ:- (1)प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय का पत्र क्र./एफ 4-2/2020/26-2 दिनांक 18/5/2022
(2)संचालनालय का पत्र क्र./नशामुक्ति अभियान/2022-23/88 दिनांक 20/5/2022

--00--

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में नशीले पदार्थों तथा शराब एवं तम्बाकू सेवन के दुष्परिणामों से आमजन को जागरूक करने निरंतर **नशामुक्ति अभियान** क्रियान्वयन के **माननीय मुख्यमंत्री जी** के निर्देश हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नशामुक्ति अभियान का क्रियान्वयन के लिये आयोजित बैठक दिनांक 6/5/2022 में सभी विभागों द्वारा निरंतर गतिविधियां संचालित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति एवं अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में समस्त विभागों के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, स्वैच्छिक संस्थाओं के पदाधिकारियों की समितियां गठित कर, सहभागिता निर्धारित की गई हैं।

मध्यप्रदेश नशामुक्त अभियान अन्तर्गत समस्त विभागों से अपेक्षा हैं कि नशा सेवन की रोकथाम के लिये मिशन मोड में विभाग से संबंधित गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिये अपने स्तर से अधीनस्थ समस्त जिला, विकासखण्ड, तहसील, नगरीय निकाय, पंचायतराज संस्थाएं स्तर के अमले को निर्देशित किया जाये तथा आयोजित किये गये कार्यक्रमों को जिला स्तर से नशामुक्त भारत अभियान (NMBA) मोबाइल एप की विभिन्न गतिविधियों के अन्तर्गतअपलोड करने की कार्यवाहीके लिये भी निर्देशित किया जाये।

उक्त कार्यक्रम के लिये विभाग स्तर पर एक नोडल अधिकारी को अधिकृत करते हुए नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर एवं ई-मेल उपलब्ध कराऐं जाने का भी अनुरोध है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(डॉ ई.रमेश कुमार)
आयुक्त,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन
कल्याण संचालनालय

4080 12/7/22 543 15/7/22

श्रीमान ... को Nodal ...

आज़ादी का अमृत महोत्सव

पृ. क्र./नशामुक्ति अभियान/2022-23/197 भोपाल दिनांक 05/07/2022

प्रतिलिपि:-

(1) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(3) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(4) समस्त संयुक्त / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(5) समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारियों की ओर पालनार्थ प्रेषित।

आयुक्त,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन
कल्याण संचालनालय

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश

नशामुक्ति अभियान

(नशामुक्त मध्यप्रदेश)

कार्ययोजना

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में नशीले पदार्थों तथा शराब एवं तम्बाकू सेवन के दुष्परिणामों से आमजन को जागरूक करते हुए निरंतर नशामुक्ति अभियान क्रियान्वयन के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं । इस संदर्भ में दिनांक 6/5/2022 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में नशामुक्ति अभियान का क्रियान्वयन हेतु आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार, समस्त विभागों की सतत सहभागिता नियत की गई है, जिसकी कार्ययोजना निम्नानुसार है:-

1. सहभागिता

(1) नशामुक्ति अभियान में शासन के समस्त विभागों के जिले से लेकर ग्राम स्तर तक के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों की सहभागिता

(2) पंचायतराज संस्थाऍं, नगरीय निकाय, कन्टोनमेंट बोर्ड

(3) समस्त स्वसहायता समूह

(4) समस्त जनप्रतिनिधि

(5) स्वयं सेवी एवं अशासकीय संस्थाऐ, जन अभियान परिषद

(6) ग्राम वन समितियां, नगर सुरक्षा समितियां

(7) पत्रकारगण, समस्त धर्मगुरू, समस्त सामाजिक संगठन, धार्मिक संस्थाऐ, औद्योगिक संगठन

(8) आशा, उषा कार्यकर्त्ता एवं ऑगनवाडी कार्यकर्त्ता, शौर्यादल

(9) आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास एवं पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के छात्रावास

(10) विश्वविद्यालय, मेडीकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेजों के छात्रावास

P.T.O.

2. लक्षित समूह

(1) बच्चे और नशा

(2) युवा और नशा

(3) महिला, स्वास्थ्य और नशा

(4) नशा- HIV/AIDS संक्रमित

(5) नशा, समुदाय, आत्महत्या, लीगल इश्यू आदि

3. अभियान हेतु समितियों का गठन

(1) जिला स्तरीय समिति का गठन – कलेक्टर की अध्यक्षता

(2) अनुभाग स्तरीय समितियों का गठन– समस्त अनुभाग हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता

4. अभियान के तहत महत्वपूर्ण कार्यवाहियाँ

(3) अवेयरनेस जनरेशन कार्यक्रम (वॉल पेंटिंग, चित्रकला, निबंध लेखन, प्रश्न मंच, मैराथन दौड, नुक्कड नाटक, रैलियां, मानव श्रृखला, रंगौली आदि)

(4) स्कूल, महाविद्यालय, युनीवर्सिटीज कैम्पस पर गतिविधियों के लिये ध्यान केन्द्रित

(5) स्कूल, महाविद्यालय के समस्त छात्रावास को नशामुक्त घोषित करना, साथ ही स्कूल, महाविद्यालय परिसर से 100 मीटर दूरी पर गुटका, तम्बाकु आदि के विक्रय पर प्रतिबंध

(6) व्यक्ति, समुदाय, तक पहुँच बनाना, हाटस्पाट का चिन्हाकन, वालेन्टियर्स का चिन्हाकन

(7) काउसिंलिंग, पुनर्वास सेवाऐ, उपचार सुविधाऐं की जानकारियाँ सूचीबद्ध करना ।

(8) सेवा प्रदाता का क्षमता विकास ।

(9) विभिन्न संस्थानों विद्यालयों, महाविद्यालयों , विश्वविद्यालयों, व अन्य संस्थानों में विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान ।

(10) नशा/शराब की आदत से छुटकारा प्राप्त प्रभावी एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के व्याख्यान।

(11) ग्राम सभाओं एवं वार्ड सभाओं का आयोजन कर, नशामुक्ति के लिये शपथ ग्रहण ।

(12) आटो/रिक्शा, कचरा वाहक आदि द्वारा नशामुक्ति के संदेश का प्रसारण तथा नशामुक्ति गान।

(13) नशामुक्ति क्रिएटिव फोटो/GIF वीडियों मटेरियल, प्रचार सामग्री, Whatsapp Group में पोस्ट कराया जायेगा ।

(14) नशामुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय हेल्प लाइन नम्बर 14446 का भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि नशामुक्त अभियान के जरिये जरूरतमंद व्यक्तियों द्वारा नशामुक्ति सह पुनर्वास सेवाओं का लाभ प्राप्त किया जा सके ।

(15) जिलों में प्रचलित नशा सेवन के नशे को ध्यान में रखते हुये सिविल एरिया ग्रामीण क्षेत्र, स्लम एरिया में अधिक से अधिक दुष्परिणामों को प्रचारित कराया जाये ।

P.T.O.

(16) जिले के शासकीय अस्पतालों में नशे से ग्रसित व्यक्तियों के उपचार की समुचित व्यवस्था ।

(17) इस अवसर पर पोस्टर, बैनर सार्वजनिक स्थलों पर लगवाये तथा पम्पलेट वितरण आमजन में कराये जाये ।

5. नशामुक्त मध्यप्रदेश की घोषणा के महत्वपूर्ण पैरामीटर

3- पैरामीटर

(1) जिले में नशामुक्ति उपचार केन्द्र

(2) लाभार्थी संख्या जिन्हे उपचार दिया

(3) शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर दायरे में तम्बाकू/शराब बिक्री दुकानों पर प्रतिबंध

(4) कम से कम 75 प्रतिशत शैक्षणिक संस्थाओं और छात्रावासों में नशामुक्ति के अवेयरनेस गतिविधियां तथा नशामुक्त (Drug Free) संस्था घोषणा

(5) जिले में उच्च शिक्षा की संस्थानों में नशें की रोकथाम बचाव, अवेयरनेस समितिया

(6) नशीले पदार्थो के सेवन के रोकथाम के लिये नीति और उसका पालन

(7) जिले की 50 प्रतिशत ग्रामों में नशामुक्ति के अवेयरनेस गतिविधियां तथा (Drug Free) घोषणा

(8) नशीले पदार्थो के रोकथाम के लिये अवेयरनेस कार्यक्रम से 75 प्रतिशत युवाओं का कवरेज

(9) 75 प्रतिशत महिलाओं का कवरेज

(10) मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित अपराथों में कमी

(11) छापों की संख्या और जब्ती की मात्रा ।

उक्तानुसार 11 पेरामीटर पर कार्यवाही संपादित कराना ।

4- नशामुक्ति के लिये आयोजित सभी कार्यक्रमों को NMBA मोबाइल एप की विभिनन गतिविधियों अन्तर्गत अनिवार्यतः अपलोड की कार्यवाही करना ।

मध्यप्रदेश नशामुक्त अभियान अन्तर्गत समस्त विभागों से अपेक्षा हैं कि नशा सेवन की रोकथाम के लिये मिशन मोड में उपरोक्त गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिये अपने स्तर से अधीनस्थ समस्त जिला, विकासखण्ड, तहसील, नगरीय निकाय, पंचायतराज संस्थायें, आदि को निर्देशित किया जाये । आयोजित किये गये कार्यक्रमों को जिला स्तर से NMBA मोबाइल एप की विभिन्न गतिविधियों के अन्तर्गत अपलोड करने की कार्यवाही के लिये भी निर्देशित किया जाये ।

-----00-----

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
Email : pssocialjustice@mp.gov.in, Ph.: (O) 0755-2708493

क्रमांक एफ 4-2/2020/26-2 भोपाल, दिनांक 18/05/2022

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
2. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
3. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग
4. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग
5. अपर मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग
6. प्रमुख सचिव, वन विभाग
7. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
8. प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग
9. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
10. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग
11. प्रमुख सचिव, जनसम्पर्क विभाग
12. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग
13. प्रमुख सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
14. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क, भोपाल

नशामुक्ति Imp 18/5/2022

विषय:- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग अंतर्गत नशामुक्ति अभियान की रूपरेखा पर समीक्षा बैठक दिनांक 06.05.2022 का कार्यवाही विवरण।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग अंतर्गत नशामुक्ति अभियान की रूपरेखा पर समीक्षा बैठक दिनांक 06.05.2022 का कार्यवाही विवरण संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(प्रतीक हजेला)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ 4-2/2020/26-2 भोपाल, दिनांक 18/05/2022

159
1-5-22

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग

115

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग अंतर्गत नशामुक्ति अभियान की रूपरेखा पर समीक्षा बैठक दिनांक 06.05.2022 का कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, श्री इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में दिनांक 06.05.2022 को सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग अंतर्गत नशामुक्ति अभियान की रूपरेखा पर समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न अधिकारीगण मौजूद रहे :-

1. श्री शैलेन्द्र सिंह - अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
2. श्री मोहम्मद सुलेमान - अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
3. डॉ. राजेश राजौरा - अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग
4. श्री अशोक शाह - अपर मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग
5. श्री अशोक बर्णवाल - प्रमुख सचिव, वन विभाग
6. श्रीमती रश्मि अरूण शमी - प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
7. श्रीमती दीपाली रस्तोगी - प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग
8. श्री प्रतीक हजेला - प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग
9. श्री उमाकांत उमराव - प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
10. श्री मनीष सिंह - प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग
11. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह - प्रमुख सचिव, जनसम्पर्क विभाग
12. श्री आकाश त्रिपाठी - प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग
13. श्री मुकेश चंद्र गुप्ता - प्रमुख सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
14. श्री सुधीर सक्सेना - पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग ने नशामुक्ति अभियान की रूपरेखा पर प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

1) जिला स्तर पर नशामुक्ति विषय पर विशेषज्ञ तैयार किये जायें जिससे कि जिलों में नशामुक्ति अभियान को और प्रभावी रूप से संचालित किया जा

116

सके। इसके लिए नशामुक्ति अभियान की तिथि निर्धारित होने तक प्रतीक्षा ना करते हुये उनके प्रशिक्षण की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ की जाये। उक्त प्रशिक्षण की कार्यवाही निरंतर रखी जाये, जिससे नशामुक्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न हुये बिन्दुओं को समाहित कर समय-समय पर उनकी क्षमता बढ़ाई जा सकें। प्रत्येक जिले के लिये न्यूनतम 8-10 विषय विशेषज्ञ तैयार किये जायें। विशेषज्ञों को नशामुक्ति कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु मानदेय प्रदान किया जाये।

2) नशामुक्ति कार्यक्रम को निरंतर रखने हेतु सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा दीर्घकालीन कार्यक्रम भी तैयार किया जाये।

3) स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विभाग इत्यादि की स्मार्ट क्लास का उपयोग नशामुक्ति कार्यक्रम के प्रशिक्षण के लिये किया जाये।

4) प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं प्रचार-प्रसार की सामग्री सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा विकसित कर सभी को प्रदाय की जाये ।

5) नशामुक्ति अभियान में युवाओं, बच्चों और महिलाओं को विशेषकर शामिल किया जाए। प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि अपने बच्चों को नशामुक्त रखने हेतु महिलाओं को सशक्त किया जा सके।

6) प्रचार-प्रसार हेतु सोशल-मीडिया, जिंगल्स आदि सभी माध्यमों का प्रयोग किया जाये। अभियान की गतिविधियों को मोबाईल के माध्यम से केप्चर किया जाये।

7) ग्रामीण क्षेत्र में जन-अभियान परिषद के साथ शहरी क्षेत्र के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं का उपयोग नशामुक्ति अभियान में किया जाए। स्वच्छता मिशन के कार्य में ऐसी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसी तर्ज़ पर नशामुक्ति अभियान में भी कार्य किया जाए ।

8) अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बताया गया कि आंगनवाड़ी मोबाईल एप के द्वारा 40,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जुड़े हैं जिन तक नशामुक्ति कार्यक्रम के दिशा-निर्देश अथवा प्रचार सामग्री एप के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है। शौर्यदल को भी नशामुक्ति

अभियान से जोड़ा जाए। बच्चों के लिये 2-3 नशामुक्ति केन्द्र प्रारंभ किये जाये। मुख्य सचिव महोदय द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रचार-प्रसार सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये, ताकि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मोबाईल एप का इस्तेमाल कर प्रचार-प्रसार प्रारंभ कर सके ।

9) देश में संचालित उत्कृष्ट नशामुक्ति केन्द्रों की जानकारी प्राप्त कर सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा समान उत्कृष्ट नशामुक्ति केन्द्र मध्यप्रदेश में भी प्रारंभ करना सुनिश्चित करें।

10) नशामुक्ति अभियान हेतु विस्तृत दिशा-निर्देशों के साथ आवश्यक राशि ज़िला कलेक्टर्स को उपलब्ध कराई जाये। सहयोगी विभाग अपने क्षेत्रीय अधिकारियों की सहभागिता एवं क्रियाशीलता के लिये निर्देशित करेंगें।

11) नशामुक्ति अभियान हेतु वर्तमान में संचालित नशामुक्ति केन्द्रों एवं सम्बंधित योजनाओं की जानकारी सभी स्तरों पर उपलब्ध कराई जाए। नशामुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय हेल्प-लाईन नंबर 14446 का भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए जिससे नशामुक्ति अभियान के जरिए जरूरतमंद व्यक्तियों द्वारा उक्त सेवा का लाभ लिया जा सके।

12) पुलिस महानिदेशक द्वारा बताया गया कि कुछ क्षेत्रों या जिलों में विशेष प्रकार के नशे का प्रचलन पाया जाता है, अतः निर्णय लिया गया कि नशामुक्ति अभियान के प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार की सामग्री विकसित करते समय इस जानकारी का ध्यान रखा जाए जिससे कि नशामुक्ति अभियान द्वारा क्षेत्र विशेष जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। उसी तरह स्लम क्षेत्रों की विशेष कि जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुये सामग्री तैयार कराई जाये।

13) गृह विभाग एवं नशामुक्त भारत अभियान की राज्य स्तरीय समितियां पूर्व से ही गठित है। जिला एवं अनुभाग स्तर पर समितियों के गठन के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश कलेक्टर्स को जारी किया जाये।

(प्रतीक हजेला)
प्रमुख सचिव
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन
कल्याण विभाग